:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :— अनील कुमार

मूकदमा नम्बर 114/18 राजस्व वाद

1. श्री लक्ष्मण पिता मेंगा रोत

2. श्रीमती तुलसी पत्नी लक्ष्मण रोत निवासीयान भीलवापंचेला तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

वादी

बनाम

1. रमेश पिता नानजी मीणा
2. हकरा पिता रमेश मीणा
3. महीपाल पिता रमेश मीणा
4. चन्दु पिता रमेश मीणा
5. थावरा पिता नानजी मीणा
6. कंकु पत्नी रमेश मीणा
7. कल्पना पत्नी हकरा मीणा निवासी भीलवापंचेला तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज
8. श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री इन्दुलाल पाटीदार अधिवक्ता वादी
2. श्री श्रवण रावल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 15/04/2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि गॉव भीलवापंचेला के खाता सख्या 328 खसरा सख्या 2320/1620 व 2321/1584 कुल खसरा किता

2 का कुल रकबा 2.10 बीघा एवं खाता सख्या 326 कें खसरा सख्या 2541/1586 व 2542/1620 कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 2 बीघा व खाता सख्या 325 का खसरा सख्या 2428/1620 का रकबा 1 बीघा भूमि है, जिसमें प्रतिवादीगण जबरान अवैध अतिक्रमण कर रहे है, प्रतिवादी सख्या 1 से 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं स्वयम करे ना ही अन्य के माध्यम से करावे। तथा जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा प्रतिवादी सख्या 8 को इस बात के लिए आदेशित किया जावे कि वादीगण खाता सख्या 328 खसरा सख्या 2320/1620 व 2321/1584 कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 2.10 बीघा एवं खाता सख्या 326 कें खसरा सख्या 2541/1586 व 2542/1620 कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 2 बीघा व खाता सख्या 325 का खसरा सख्या 2428/1620 का रकबा 1 बीघा का नक्शे में कब्जे अनुसार पेमुद कर तरमीम की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से जवाब का अवसर बन्द किया गया।

वादीगण द्वारा बयान लेखबद्ध करवा दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। प्रत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी की नक्से में तरमीम नहीं है ऐसे में विवाद की स्थिती बनी हुई है, ऐसे में मौके पर काबीज अनुसार तरमीम किया जाना न्यायसंगत है ताकि विवाद का अन्त हो सके।

क्रियात्मक आदेश

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी मे वादीगण के कबजे काश्त में व्यवधान पेदा नहीं करे ना ही अन्य के माध्यम से करावे। गॉव भीलवापंचेला की वादग्रस्त आराजी खसरा सख्या 2320/1620, 02 बीघा व 2321/1584, 10 बिस्वा कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 2.10 बीघा एवं खसरा सख्या 2541/1586, 01 बीघा व 2542/1620,

01 बीघा कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 2 बीघा व खसरा सख्या 2428/1620 का रकबा 1 बीघा का वादीगण का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार नक्से में तरमीम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आज दिनांक 15.4.2021 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा